

Bill of Rights & Act of Settlement

विल ऑफ राइट्स यात्रि अधिकारों का विधेयक, इंग्लैंड की संसद द्वारा 16 दिसंबर 1689 में पारित एक अधिनियम था, जो संवैधानिक मामलों और नागरिक अधिकारों को स्थापित करता है। विल ऑफ राइट्स, संसद के अधिकारों की सीमाएं तय करती है, और साथ ही संसद के अधिकारों को भी संकुचित करती है। संसद के लिए निर्धारित किए गए अधिकारों में, नियमित संसदीय सत्र, मुक्त चुनाव और संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल किए गए थे।

Bill of Rights:- 1. विल ऑफ राइट्स 1689 का मूल उद्देश्य ब्रिटिश सम्राट जेम्स II के समय के दौरान सामाजिक और राजनीतिक तनावों का समाधान करना था।
2. स्वतंत्रता से संबंधित
3. सत्ता की सीमा 4. दंड प्रणाली का अधिकार

Act of Settlement:- 1. राजा का प्यार (रानी भी)
2. कैथोलिक नहीं होगा
3. पार्लियामेंट की स्वीकृति
4. जनरल वकील कार्य

संक्षेप:- विल ऑफ राइट्स ने नागरिकों को स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, और न्याय के अधिकार प्रदान किए, जबकि एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने राजा के प्यार में स्पष्टता और सीमाएं स्थापित की। साथ ही संवैधानिक बन गए नियमों और प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार की सत्ता को नियंत्रित करने का प्रणाली बन रहा है।

Dr. Umesh Kumar Rai
Dept. of History

M.A. (SEM-3)

Session-2021-23

07-02-2024

Class- 2. (Second)

S. B. College, Ar

mob/wp: 8809947478

Email Id: ukravi_sabarvam@gmail.com